

प.सं. जीएम/एडमिन/01/046 भाग-1

शुद्धि पर्ची सं.-05/17

विषय - शक्तियों की अनुसूची के अध्याय-III के पैरा 3.4.1 में संशोधन/परिवर्धन ।

-----\*\*\*-----


उपरोक्त संदर्भित शक्तियों की अनुसूची के अध्याय-III के पैरा 3.4.1 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :-

मद संख्या 3.4.1 कार्य निविदा तथा मदों के रिकंडीशिनिंग/रेट्रोफिटमेंट/रिपेयर/एमएंड पी के एएमसी हेतु निविदा ।

संदर्भ - रेलवे बोर्ड का दिनांक 03.04.2017 का पत्र संख्या 2015/सीई-1/सीटी/0/20/1.

क्र.सं.	लागत सीमा	कार्यकारी विभाग	सहायक विभाग	वित्त	स्वीकृत प्राधिकारी	
1.	रु.20 लाख तक	वरिष्ठ वेतनमान	--	कनिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	
2.	रु.20 लाख से ऊपर 4.0 करोड़ तक	वरिष्ठ वेतनमान	वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी / वरिष्ठ श्रेणी	
3.	रु.4.0 करोड़ से ऊपर 20.0 करोड़ तक	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	
4.	रु.20 करोड़ से ऊपर रु.75 करोड़ तक	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में प्रमुख विभागाध्यक्ष	
5.	रु.75 करोड़ से ऊपर रु.100 करोड़ तक	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	उच्च प्रशासनिक श्रेणी में प्रमुख विभागाध्यक्ष*	*उन विभागों में जहां एचएजी श्रेणी में प्रमुख विभागाध्यक्ष नहीं है, वहाँ इसे महाप्रबंधक महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा ।
6.	रु.100 करोड़ से ऊपर रु.500 करोड़ तक	प्रमुख विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष	प्रमुख विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष	प्रमुख विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष	महाप्रबंधक	
5.	रु.500 करोड़ से ऊपर	प्रमुख विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष	प्रमुख विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष	प्रमुख विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष	महाप्रबंधक	

- उपर्युक्त प्रत्यायोजन खुली निविदा तथा सीमित निविदा दोनों मामले में लागू होगा ।
- रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.11.97 पत्र सं. 94/सीई-1/सीटी/4 के अनुसार खुली निविदा/सीमित निविदा के मामलों में जहां स्वीकृत अधिकारी महाप्रबंधक हैं उसकी अपेक्षा एकल निविदा में खुली निविदा/निविदा सीमित और स्वीकृत प्राधिकारी एक पद ऊंचा का होगा ।



3. निविदा समिति के गठन हेतु सहायक विभाग से सदस्यों का नामन निम्न प्रकार होगा -

विभाग	सहायक विभाग
सिविल	विद्युत
विद्युत	यांत्रिक
यांत्रिक	सिविल / विद्युत (मामले की प्रकृति के अनुसार निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।)

अन्य विभागों के लिए मामले के आधार पर निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सहायक विभाग नामित किया जाना है।

4. रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.06.2009 के पत्र सं.94/सीई-1/सीटी/18 के अनुसार सभी मामलों में जहां संविदा की अनुमोदित सूची उपलब्ध है, तो सीमित निविदा आमंत्रित करने से पहले सीमित निविदा/एसएलटी की वर्तमान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है।
5. परामर्शदाता संविदा के लिए (रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.07.99 पत्र सं.एफ.(एक्स)-11/99/पीडब्ल्यू/1) के अनुसार निविदा प्रक्रिया के द्वारा अनिवार्य रूप से परामर्श संविदा प्रदान किया जाना चाहिए।
6. यह प्रणाली भंडार विभाग के परिवहन के अतिरिक्त सभी विभागों की कार्य निविदा सहित श्रम, स्वच्छता, वाहन किराया एवं टी एण्ड पी के निविदा के मामले में लागू होगी।

यह विसमुलेधि की वित्तीय सहमति एवं महाप्रबंधक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

( नितिन/मेहरोत्रा )

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव/महाप्रबंधक  
कृते महाप्रबंधक

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए :-

1. सभी विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को
  2. सभी कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को
  3. सभी वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को
  4. सभी कनिष्ठ वेतनमान/ सहायक अधिकारियों को
- डीरेका, वाराणसी

( नितिन/मेहरोत्रा )

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव/महाप्रबंधक  
कृते महाप्रबंधक